भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3165
दिनांक 07 अगस्त 2025

एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी

†3165. **श्री के. सुधाकरनः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बावजूद जून 2025 में एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के क्या कारण हैं और क्या सरकार खुदरा कीमतों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों से जोड़ने के लिए एक वास्तविक समय सार्वजनिक डैशबोर्ड का प्रस्ताव रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने सीएजी सहित लेखा परीक्षा निष्कर्षों की समीक्षा की है, जिसमें खुलासा हुआ है कि जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में 44% से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों ने अपना पहला मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दोबारा नहीं भरा और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या 2022 से डीबीटी और पहल के तहत सब्सिडी लीकेज या फर्जी लाभार्थियों पर किसी तृतीय-पक्ष द्वारा संपरीक्षा की गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
(घ) क्या ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएंगी;
(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए वर्ष-वार कार्यान्वयन रोडमैप प्रकाशित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों में एलपीजी सुलभता पर उच्च वितरक मार्जिन के प्रभाव की जांच की है और कोई युक्तिकरण ढांचा प्रस्तावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) भारत सरकार ने जून, 2025 में घरेलू एलपीजी के मूल्य में वृद्धि नहीं की है।

भारत घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी का मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़ा हुआ है। जहां, औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 51% की वृद्धि हुई (जुलाई 2023 में 385 यूएस डॉलर/मीट्रिक टन से जून, 2025 में 582 यूएस डॉलर/मीट्रिक टन), तो वहीं घरेलू एलपीजी के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य में 38% (अगस्त 2023 में 903 रुपए से जुलाई 2025 में 553 रुपए) की कमी की गई।

दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एक घरेलू एलपीजी सिलेंडर का खुदरा बिक्री मूल्य वर्तमान में 853 रुपए है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपए/सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद, सरकार 553 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। यह देश भर में लगभग 10.33 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है।

(ख) देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के प्रयोजन से मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) आरम्भ की गई। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की प्रति व्यक्ति खपत (प्रति वर्ष 14.2 किलोग्राम रिफिल के संदर्भ में) 4.47 है। दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, केवल लगभग 1.3% पीएमयूवाई उपभोक्ताओं ने अपने कनेक्शन लगवाने के बाद से कोई रिफिल नहीं लिया है और पीएमयूवाई लाभार्थियों ने वर्ष 2024-25 में 46.5 करोड़ रिफिल लिए हैं।

(ग) और (घ) डीबीटीएल-पहल योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। अनुसंधान एवं विकास पहल (आरडीआई) द्वारा एक व्यापक तृतीय-पक्षीय मूल्यांकन किया गया। अध्ययन में पाया गया कि 90% से अधिक उत्तरदाता राजसहायता प्रतिपूर्ति व्यवस्था से संतुष्ट थे। इस रिपोर्ट में राजसहायता भुगतान की अवसंरचना और शिकायत निवारण प्रणालियों को मजबूत करने के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक राजसहायता को सीमित करके लक्ष्य में सुधार करने की अनुशंसा की गई। यह एलपीजी के बेहतर अंगीकरण एवं सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय भाषा और जनसंचार अभियानों के माध्यम से निरंतर सुरक्षा जागरूकता और विस्तारित पहुँच की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। इन निष्कर्षों के आधार पर, पहल योजना की दक्षता, पारदर्शिता और पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) - पहल योजना जनवरी 2015 से देश भर में राजसहायता के पारदर्शी और प्रभावी संवितरण के निमित्त क्रियान्वित की गई। पहल योजना के अन्तर्गत सभी घरेलू एलपीजी सिलेंडर गैर-राजसहायता वाले मूल्य पर विक्रय किए जाते हैं और एलपीजी उपभोक्ताओं को मिलने वाली राजसहायता सीधे उनके बैंक खाते में अंतरित कर दी जाती है।

राजसहायता जमा होने के बाद, उपभोक्ता को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर राजसहायता जमा होने की पुष्टि करने वाला एक एसएमएस प्राप्त होता है। अंतरण विफल होने की स्थिति में, उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम से समस्या के साथ-साथ आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी भी दी जाती है।

पहल ने 'छद्म' खातों, एक से अधिक खातों और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शनों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे राजसहायता वाले एलपीजी के व्यावसायिक उपयोग के विपथन पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। दिनांक 01.07.2025 की स्थिति के अनुसार, 4.08 करोड़ नकली, फर्जी/अस्तित्वहीन और निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन अवरुद्ध/निलंबित/निष्क्रिय किए गए हैं।

(ङ) भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (एनजीएचएम) आरम्भ किया गया है, जिसका प्रयोजन भारत को हरित हाइड्रोजन और उसके व्युत्पन्नों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है।

एमएनआरई के अधीन एनजीएचएम ने वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

हरित हाइड्रोजन परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक हस्तक्षेप (एसआईजीएचटी) इस मिशन का एक प्रमुख घटक है जो हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करता है।

(च) वर्तमान में, ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे देश में घरेलू एलपीजी पर वितरकों का कमीशन 73.08 रुपए प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर है, जिसमें संस्थापना लागत, वितरण शुल्क और वितरकों को मार्जिन शामिल है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं, जिनमें से लगभग 80% ग्रामीण उपभोक्ता हैं, के लिए 300/- रुपए प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के पश्चात्, एलपीजी सिलेंडर का प्रभावी मूल्य 553 रुपए (दिल्ली में) है।

*****